1 TA/214/2017 लक्ष्मण बनाम रामेश्वर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/214/2017

उनवान

1. लक्ष्मण पिता जोधा जाट निवासी चीडखेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. सोहन पिता जोधा जाट निवासी चीडखेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. श्रीराम पिता जोधा जाट निवासी चीडखेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. रामेश्वर पिता भेरा जाट निवासी चीडखेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. जीतू पिता भेरा जाट निवासी चीडखेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण
संख्या 86/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.6..2015

अधिवक्तागण :-

1. श्री मुकेश चौधरी , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री बी एल गुर्जर अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1 से 2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 05.09.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/ वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चीडखेडा तहसील सहाडा के बेरून हल्के आबादी में राजस्व खाता संख्या 525 में वर्णित आराजी नम्बर 2743 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 2744 रकबा 0.13 है0, आराजी नम्बर 2751 रकबा 0.25 है0, आराजी नम्बर 2755 रकबा 0.02 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.44 है0 स्थित है। उक्त आराजियात में वादीगण का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1व 2 के सयुक्त खातेदारी की होकर अविभाजित है। और मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पूर्व में विभाजन नहीं हुआ होने से लगान जमा कराने, में, अपने नाम ऋण स्वीकृत करवाने, एवं अपने हक की जमीन को उपजाऊ बनाने में अडचन आती है। अतः वादीगणा के हक हिस्से की 2/3 आराजी का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करा पृथक खाता खुलवा कर लगान अलग से दर्ज करवाना चाहते है। अतः वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1व 2 के विरूद्ध विभाजन की डिक्री इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम चीड खेडा की वादग्रस्त आराजी नम्बर 2743 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 2744 रकबा 0.13 है0, आराजी नम्बर 2751 रकबा 0.25 है0, आराजी नम्बर 2755 रकबा 0.02 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.44 है0 स्थित है। उक्त आराजियात में वादीगण का 2/3 हिस्से का पृथक से खाता खोला जाकर लगान अलग से दर्ज कराया जावे एवं कब्जा भी पृथक से दिलाया जावे।

2. अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील विरूद्ध अन्तिम डिक्री इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण को बहस करने के लिए दिनांक 30.6.2015 को समय दिया गया था तथा उस समय अपीलार्थी संख्या 1 मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से गम्भीर बीमार हो गया तथा वह जैर ईलाज व्यस्त था। उसी दरमियान उक्त पत्रावली को राजस्व कैम्प चीडखेडा में दिनांक 29.6.2015 को नियत कर दी । जिससे अपीलार्थी संख्या 1 को मौके पर सरकारी कर्मचारी भेज कर बुलाया गया एवं बहस हेतु कहा गया लेकिन बीमार होने से बहस हेतु बंटवाडा प्रस्ताव पर असहमति दी और बहस हेतु समय मांगा गया । जिससे अधिनस्थ न्यायालय ने उसे राजस्व लोक अदालत कैम्प चीडखेडा में हस्ताक्षर कर मौके से भेज दिया और बहस नियमित न्यायालय में करने को कहा गया एवं तारीख पेशी बाद में नोट करने की कहा गया । उसके उपरान्त अपीलार्थी संख्या 1 अत्यधिक बीमार हो गया एवं अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया एवं उसी दरमियान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने दिनांक 2.7.2017 को उक्त वादग्रस्त आराजियात के थोहरों की बाड को काट कर फसल को नुकसान पहूंचा दिया एवं अपीलार्थीगण को कहा गया कि उपरोक्त आराजियात का तो मैने विभाजन करा लिया एवं आपके हक की भूमि में शामलाती रास्ता कायम करवा दिया तो अपीलार्थी ने उक्त आराजियात की जमाबंदी दिनांक 3.7.2017 को प्राप्त की एवं पुलिस थाना गंगापुर में प्रार्थना पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिया । एवं अधिनस्थ न्यायालय में निर्णय एवं डिक्री की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जवे।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो बंटवाडा प्रस्ताव तलब कर उस पर फाईनल डिक्री पारित की है वह विधि एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होकर अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर न प्रदान कर पारित की गई है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने जो बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार साहब सहाडा से तलब किया उस आदेश को तहसीलदार साहब सहाडा द्वारा लिपा पोती की जाकर तहसीलदार कार्यालय में ही रेस्पोडेण्ट के कथनानुसार बनाकर पेश कर दिया जिससे रेस्पोडेण्ट का उपरोक्त विवादित आराजियात में 1/3 हिस्सा ही बनता है जिससे हिस्से अनुसार उसे 0.14 है0 भूमि ही बंटवाडे में मिल सकती थी फिर भी कानून से परे जाकर अपीलार्थीगण को बिना सुने एवं बिना सूचना दिये ही उक्त वादग्रस्त आराजियात का बंटवाडा प्रस्ताव जो कि तहसील कार्यालय में बनाया गया था जिसके आधार पर रेस्पोडेण्ट को विभाजन में 0.03 है0 भूमि अधिक प्रस्तावित कर दी एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं होते हुए भी अपीलार्थीगण की भूमि में रास्ता बताकर प्रस्ताव बना दिया एवं उक्त बंटवाडा प्रस्ताव पर अपीलार्थीगण को नहीं सुना गया उसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि दिनांक 17.7.2013 को प्रारंभिक डिक्री पारित कर तहसीलदार साहब को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु अधिनस्थ न्याालय की पत्रावली में जो बंटवाड़ा प्रस्ताव उपलब्ध है वह तहसीलदार साहब सहाडा द्वारा नहीं बनाया गया अपितु भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बनाया गया है और उस पर तहसीलदार साहब द्वारा केवल काउण्टर हस्ताक्षर किये गये हैं तथा बंटवाडा प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आमंत्रित नहीं की गई और न ही अपीलाण्ट को मौके पर उपस्थित होने बाबत कोई सूचना ही दी गई है। जबकि राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना यदि कोई विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाता है एवं उस आधार पर कोई निर्णय व डिक्री पारित की जाती है तो उसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी संख्या 1 सन् 2014 से ही मानसिक रोगी था तथा ईलाज आज भी जारी है तथा शेष अपीलार्थीगण को उक्त पत्रावली में सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और न ही विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ही आमंत्रित की गई फिर भी अधिनस्थ न्यायाल ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने जो सहमति पत्र रिकार्ड पर लिया है उसे बिना अपीलार्थीगण को बताये ही एवं उसकी प्रति प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण से दिलाये बिना ही उसे रिकार्ड पर ले लिया गया एवं उसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो कानूनी रूप से अवैध होकर न्यायालय की अनुमति के बिना ही रिकार्ड पर ली गई है एवं जिस पर अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर भी नहीं है। फिर भी उसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में जो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया उससे परे जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया जावे कि प्रकरण में अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार साहब द्वारा व्यक्तिशः जाकर , उभयपक्ष की मौजूदगी में तैयार कराया जावे एवं दोनों पक्षों की आपत्ति आमंत्रित की जाकर निर्णय पारित करे।

12. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है एवं अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण नहीं दर्शाया है अतः अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बावजूद प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिस पर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उसके उपरान्त तहसीलदार साहब द्वारा मौके पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जाकर मौके के अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया गया जिसके अनुसार निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है जो विधिसम्मत है। मौके पर कब्जे अनुसार ही बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया था। बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो विधिसम्मत है।

13. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण ने अपने हक हिस्से की आराजी नम्बर 2752/3967 रकबा 0.01 है0 में रास्ता दिया है । इस कारण प्रत्यर्थीगण को ज्यादा जमीन दी गई है। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलार्थी लक्ष्मण मौजूद था एवं उनके हस्ताक्षर बंटवाडा प्रस्ताव पर है। अपीलार्थी लक्ष्मण को बंटवाडा प्रस्ताव होने की जानकारी थी। यदि कोई आपत्ति थी तो बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय करनी चाहिये थी। अपीलार्थी लक्ष्मण के आदेशिका पर भी हस्ताक्षर है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

14. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

15. अपीलार्थीगण का कथन है कि अपीलार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। बंटवाडा प्रस्ताव तहसील कार्यालय में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बनाया गया है वह भी भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बनाया गया है जिस पर तहसीलदार साहब के काउण्टर हस्ताक्षर है। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलार्थीगण की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई है।

16. हमनें अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.7.2013 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.6.2013 नियत की गई। दिनांक 16.7.2013 को वकील उभयपक्ष की उपस्थिति का अंकन करते हुए उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उसके उपरान्त निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 17.7.2013 को पारित किया गया । वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, स्वयं का शपथ पत्र, जमाबदी की नकल, नक्शा ट्रेश आदि की नकल का प्रकरण में अवलोकन किया गया । मौके व कब्जे तथा हिस्से अनुसार उभयपक्ष की सहमति के आधार पर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है। इस तथ्य का अंकन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में किया है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का 1/3 हिस्सा मान कर ग्राम चीड़खेड़ा तहसील सहाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2743 रकबा 0.04 है0 आ0नं0 2744 रकबा 0.13 है0, आ0नं0 2751 रकबा 0.25 है0 आ0नं0 2755 रकबा 0.02 है0 कुल कीता 4 कुल रकबा 0.44 है0 में से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने का आदेश दिया है। अतः यह परिलक्षित होता है कि प्राथमिक डिक्री को लेकर अपीलाण्ट का कोई उजर नही है वरन निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 29.06.2015 से व्यथित होकर ही अपील प्रस्तुत की गई है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

17. अपीलार्थीगण का कथन है कि प्रत्यर्थीगण को उनके हक हिस्से से अधिक भूमि दी गई है। जिसके बारे में प्रत्यर्थीगण का कथन है कि उनके द्वारा रास्ते के लिए भूमि छोडी है। जिसके लिए सहमति पत्र रामेश्वर पिता भेरा, जीतू पिता भेरा, मोहनी पुत्री देवी लाल जाट निवासी चीड़खेडा द्वारा लिखा गया था। जिसमें अंकित किया गया है कि '' हम सभी के खातेदारी भूमियॉ ग्राम चीड खेडा के खसरा संख्या 524 पर अंकित आराजी नम्बर 2751/2 रकबा 0.02 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता होकर हमारे शामलाती दर्ज रेकार्ड स्थित है । इस आराजी गैर मुमकिन रास्ता से हम खातेदारान इनका रास्ता बन्द व बाधित नहीं करेंगे। यह व्यक्ति लक्ष्मण सोहन श्रीराम पिता जोधा जाट निवासी चीडखेडा तथा इनके वारिसान भी भविष्य में इस रास्ते से आवागमन पैदल, बैलगाडी, संज ट्रेक्टर आदि से आवागमन करते रहेंगे।

18. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलाण्ट को सुने तहसीलदार सहाड़ा से बटववाड़ा प्रस्ताव तलब कर अन्तिम निर्णय दिनांक 29.06.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में बिना अपीलाण्टगण को सूचना दिए पारित किया जो अपास्त किए जाने योग्य है। उक्त तथ्य के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली में संलग्न बटवाड़ा सूची का अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2013 को प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदारी सहाड़ा से बटवाड़ा प्रस्ताव तलब किया गया। इस पर तहसीलदार सहाड़ा ने दिनांक 11.02.2014 को बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जिसमें अपीलार्थी लक्ष्मण, मोहन व श्रीराम के हिस्से में आ0नं0 2743/2 रकबा 0.02 है0, आ0नं0 2744/2 रकबा 0.03 है0, आ0नं0 2751/1 रकबा 0.23 है0 व आ0नं0 2755 रकबा 0.02 है0 कुल 0.25 है0 तथा प्रत्यर्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रामेश्वर, जीतू के हिस्से में आ0नं0 2743/1 रकबा 0.03 है0, आ0नं0 2744/1 रकबा 0.10 है0, आ0नं0 2751/2 रकबा 0.02है0 कुल 0.15 है0 रखे जाने पर अपीलार्थीगण के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 16.06.2014 को आपत्ति प्रस्तुत की जिसे स्वीकार कर तहसीलदार सहाड़ा से नवीन बटवाड़ा प्रस्ताव चाहा गया। इस सम्बन्ध में मौके पर बटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किए जाने बाबत अपीलाण्ट्स व प्रत्यर्थीगण को दिनांक 17.07.2014 को सूचित किया जाना अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सूचना पत्र से सिद्ध होता है जिस पर अपीलाण्ट्स एवं प्रत्यर्थीगण के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी अंकित है। नवीन बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । उक्त नवीन बंटवाडा प्रस्ताव पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया जिस पर तहसीलदार सहाड़ा के हस्ताक्षर है। उक्त नवीन बटवाड़ा प्रस्ताव पर अपीलाण्ट लक्ष्मण एवं प्रत्यर्थी रामेश्वर व जीतू के हस्ताक्षर है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि नवीन बटवाड़ा प्रस्ताव जो तैयार किया वह पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जिसके अनुसार अपीलाण्ट लक्ष्मण, सोहन, श्रीराम के हिस्से में आ0नं0 आ0नं0 2751/1 रकबा 0.23 है0 व आ0नं0 2755 रकबा 0. 02 है0 कुल 0.25 है0 तथा प्रत्यर्थी रामेश्वर, जीतू के हिस्से में आ0नं0 2743 रकबा 0.04 है0, आ0नं0 2744 रकबा 0.13 है0, कुल 0.17 है0 एवं आ0नं0 2751/2 रकबा 0.02 है0 शामलाती रखी जाने का बटवाड़ा प्रस्ताव प्राप्त हुआ । इस प्रकार सभी पक्षकारान को पूर्ण नम्बर उनके हिस्से में रखे गए। बटवाड़ा प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली को राजस्व लोक अदालत शिविर चीड़खेड़ा पर रखे जाने बाबत पक्षकारान को दिनांक 29.06.2015 के सूचना पत्र जारी किए। अपीलाण्ट को उक्त कैम्प की सूचना होने के सूचना पत्र अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है जिससे

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट को राजस्व लोक अदालत शिविर की जानकारी थी जिसकी पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.06.2015 से होती है अर्थात अन्तिम निर्णय उक्त नवीन बटवाड़ा प्रस्तावानुसार आदेशिका पर पारित किया उस पर अपीलाण्ट लक्ष्मण एवं प्रत्यर्थीगण रामेश्वर व जीतू के हस्ताक्षर है। इस प्रकार यह कहना कि उन्हें लोक अदालत शिविर की जानकारी नहीं देकर अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है बेबुनियाद एवं आधारहीन है। इस प्रकार अपीलाण्ट अपने कथन को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की है एवं राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना के तहत बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है । जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है। जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

19. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनाक 29.6.2015 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावें।

20. निर्णय आज दिनांक 5.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

12 TA/214/2017 लक्ष्मण बनाम रामेश्वर

।यालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/214/2017

उनवान

1. लक्ष्मण पिता जोधा जाट निवासी चीडखेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. सोहन पिता जोधा जाट निवासी चीडखेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. श्रीराम पिता जोधा जाट निवासी चीडखेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. रामेश्वर पिता भेरा जाट निवासी चीडखेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. जीतू पिता भेरा जाट निवासी चीडखेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 86/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.6..2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री मुकेश चौधरी , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री बी एल गुर्जर अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1 से 2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते भीलवाड़ा (राज.)

अपील में डिक्री
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/214/2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्क्रिी जारी की जाती हैं:

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13 TA/214/2017 लक्ष्मण बनाम रामेश्वर

यह अपील तारीख 5.9.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री मुकेश चौधरी प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री बी एल गुर्जर अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 5.9.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :—

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनाक 29.6.2015 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 5.9.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

5/9/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस